तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

पप्पाराम व अन्य

बनाम

पुखराज इत्यादि

उपस्थित

1. श्री नवीन शर्मा, श्री नवरतनदान चारण, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

आदेश

दिनांक 04 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 86/2023 अनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 जुलाई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि उभय पक्षकारान् के पूर्वज भूराराम जी थे। भुराराम जी के तीन पुत्र धोकलराम, पेमाराम तथा किरताराम हुए, जिन तीनों का देहान्त हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त तीनो के वारिसान है। धोकलराम, पेमाराम तथा किरताराम के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं 608 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं 613/1 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नं 33 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 115 बीघा 12 बिस्वा ग्राम सालावास मे तीनो का बराबर-बराबर हिस्सा बनता है, अर्थात प्रत्येक का 38 बीघा 10 बिस्वा 13 बिश्वांसी हिस्सा निहित होता है। रेस्पो. संख्या 1 पुखराज द्वारा खसरा नं. 33 में से 5 बीघा भूमि छोटीदेवी पत्नी सूटाराम को बैचान कर दी है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उसके हिस्से में कम हुई मानी जायेगी। धोकलराम व किरताराम द्वारा अपने हिस्से की बीघोडी की राशि पेमाराम को जमा करवाने हेतु दी जाती थी जो पेमाराम द्वारा सरकार मे जमा करवायी जाती थी। पेमाराम ने धोकलराम व किरताराम को धोखे मे रखते हुए वादग्रस्त भूमियो के बाबत नामान्तरकरण संख्या 23 पारित करवा लिया जिसमे उसके द्वारा खसरा नं 33 को स्वयं के खातेदारी में दर्ज करवा दिया एवं बाकी दो खसरो को धोकलराम व किरताराम के हिस्से में रख दिया जबकि उक्त बंटवाडा के नामान्तकरण में धोकल व किरता की कोई सहमति नहीं ली गई एवं ना ही उन्हें इसकी कोई जानकारी थी जो नामान्तरकरण देखने मात्र से भी ज्ञात होता है। उक्त नामान्तरकरण सर्वथा विधि विरुद्ध एवं अवैध एवं अनाधिकार रूप से दर्ज किया गया, क्योकि किसी भी बंटवाडा हेतु समस्त खातेदारान की सहमति होनी आवश्यक है अन्यथा बिना सहमति बंटवाडा करने का अधिकार सहायक कलेक्टर को ही रहता है, जिसकी अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र म्याद बाधित मानते हुए खारिज कर दिया गया, जिसमे गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही होती है, जिससे अधिकारों का निस्तारण नहीं होता है। अधिकारों का निस्तारण सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। जिस कारण अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा हेतु घोषणात्मक वाद एवं बटवाडा का वाद प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा जवाब में यह लिखा गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के पास कुल 219 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी, जिसमे तीसरा हिस्सा अर्थात 73 बीघा 6 बिस्वा भूमि पेमाराम जी का बनता था। जिनमे वादग्रस्त भूमियो के अलावा खसरा नं. 857/73 तथा खसरा नं 71 का उल्लेख किया गया है। आगे यह भी लिखा कि पक्षकारान के पूर्वजो ने वर्ष 1950 में मौखिक रूप से आपस में बंटवाडा कर लिया, जिसमे खसरा नं 33 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा भूमि पेमाराम के हिस्से में रखी गयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 53 के अन्तर्गत कृषि भूमियो के बंटवाडा हेतु मात्र दो तरीके दिये गये है, जिसमे पहला खातेदारान की लिखित सहमति से तहसीलदार महोदय के समक्ष तथा दूसरा खातेदारान में विवाद होने पर सहायक कलेक्टर के पास वाद प्रस्तुत करके। किसी भी रूप मे मौखिक बंटवाडा का कोई प्रावधान नही दिया गया है एवं ना ही बिना सहमति के तहसीलदार को किसी भूमि का बंटवाडा किये जाने का भी कोई प्रावधान ही दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा इन दोनो खसरा के रकबे का हवाला नहीं दिया है। वास्तव में उक्त खसरे खालसा भूमिया थी, जिनमें से खसरा नंबर 71 की भूमि धोकलराम के एकल खातेदारी की भूमि रही तथा खसरा नंबर 73 किताराम के हिस्से में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नं 60 की भूमि सरकार से पेमाराम के हिस्से में दर्ज की गई, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझ कर इस भूमि का कोई हवाला अपने जवाब में नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमियां मात्र वादग्रस्त भूमिया ही थी, जिसमे तीनो भाईयो का बराबर-बराबर हिस्सा बनता था एवं जो बंटवाडा पेमाराम द्वारा दर्ज करवाया गया, वह अन्य खातेदारान की किसी भी प्रकार की सहमति के बिना करवाये होने से विधि की दृष्टि में शून्य मात्र है। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने लिखा कि 1950 में खसरा नं 33 की बीघोडी 24 रूपये थी एवं 1950 के बाद से उक्त 24 रूपये बीगोडी पेमाराम द्वारा ही जमा करवायी गयी एवं उसके आधार पर ही 1960 में बंटवाडा का म्यूटेशन पारित किया गया। कब्जा 1950 से पेमाराम का ही है एवं वह ही बीगोडी भरता आया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त तथ्य साक्ष्य के बाद तय होने हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपील मे दिये गये जवाब एवं यह उल्लेखित तथ्यो में बीगोडी राशि में भिन्नता तथा विरोधाभाष है। जहां तक खसरा गिरदावरी का प्रश्न है, खसरा गिरदावरी से कभी भी अधिकारो का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। वास्तव मे धोकलराम व किताराम द्वारा अपने हिस्से की बीघोडी पेमाराम को दी जाती थी एवं राजस्व महकमे मे पेमाराम ही जाकर तीनों की ओर से बीगोडी जमा करवाता था, किन्तु उसके मन मे खोट होने के कारण उसके द्वारा बीगोडी की रसीदात् मात्र स्वयं के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नाम से दर्ज करवाई गयी, किन्तु इससे पेमाराम का इन भूमियो मे 1/3 हिस्से से ज्यादा किसी प्रकार का कोई हिस्सा निहित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जोधाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके खण्डन में प्रार्थीगण द्वारा रामाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जोधाराम द्वारा अपने शपथ पत्र मे मानाराम, पिल्ली तथा कोचर के अप्रार्थीगण के साथ होने का तथ्य लिखा है जबकि तीनों भी प्रार्थीगण के साथ ही है एवं मानाराम तो स्वयं प्रार्थी है। जोगाराम द्वारा अपने शपथ पत्र में सशपथ उल्लेखित किया गया है कि बंटवाडा 1960 में एक्ट अधीन किया गया। इस प्रकार वकील अप्रार्थीगण अगर बंटवाडा 1960 में एक्ट अपोन किया गया तो 1950 से ही पेमाराम खसरा नं 33 पर अकेला कैसे काबिज हो गया, यह एक विचारणीय बिन्दू है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में पेमाराम 1950 से अकेला खसरा नं 33 पर काबिज नही रहा। जब प्रथमदृष्टया नामान्तरकरण विधिक नहीं है, तो ऐसी किसी भी फिसकल प्रोसिंडिग से वादीगण के हक हकूको को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधिकार विधि के तहत उत्पन्न होते है, जिन्हें विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व रेकर्ड से बिना किसी विधिक प्रक्रिया के हटाया गया है, जिससे प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमियो में निहित हक हिस्सा समाप्त नहीं हो जाता है एवं इसी हेतु प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमे अपीलार्थीगण के मूलभूत अधिकारों का निस्तारण वाद साक्ष्य किया जायेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा को तय करते समय मात्र प्राईम फेसाई केस देखा जाता है, न कि प्राईमा फेसाई टाईटल। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्राईमा फेसाई केस स्थापित किया है कि वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज थोकलराम, किरताराम व पेमाराम के संयुक्त खातेदारी की थी जो जमाबन्दी से स्पष्ट है एवं प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम विधि विरुद्ध तरीके से जमावन्दी से हटाया गया है जो भी नामान्तरकरण संख्या 23 से प्रथमदृष्टया देखने मात्र से स्पष्ट है। प्रतिवादी द्वारा जो अभिवचन अपने जवाब में किये गये है, उक्त समस्त तथ्य के संबंध में तनकियात कायम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाकर उन्हे वाद साक्ष्य तय किया जायेगा एवं उसके पूर्व यदि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए आगे से आगे बैचान कर दिया जाता है अथवा वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं इससे वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलेगा एवं वाद की कार्यवाही में पैचिदगिया बढ़ेगी। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी इस प्रकरण में पूर्व से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अपना प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीक्ष क्षति के बिन्दु को पूर्णत सिद्ध कर दिया गया था, तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर मात्र नामान्तरकरण अपील का हवाला देते हुए प्रत्यर्थीगण का बिना किसी ठोस आधार के कब्जा मानते हुए अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। वाद वादी के पक्ष में निर्णित होने की सूरत में अगर प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भूमिया बेच दी जाती है तो वादी के वाद की डिक्री का निष्पादन करवाना ही संभव नही रहेगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के हक में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध होने के अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादग्रस्त भूमियों को सुरक्षित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। ऐस स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पावंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों का बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण, खुर्द-बुर्द अथवा अन्य व्ययन नहीं करे तथा न ही अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल करे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2018-19 (सप्लीमेन्ट्री) आर आर टी 145, 2019 (2) आर आर.टी. 1118, 2019 (1) डी एन.जे 39, 2018 (2) आर आर टी 1026, 2020 डी एन जे 272, 2020 आर आर डी. 309, 2012 आर आर डी 523

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(उच्च न्यायालय), 2018(2) आर आर टी 1140, 2018(2) आर आर टी 1524, 2017 आर आर डी 468, 2020(2) आर आर टी 1081, 2019(1) आर आर टी 271 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 608, 613/1, 33, 857/23 एवं 7 कुल रकबा 219.17 बीघा भूमि का तीनों भाईयो में वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही बंटवाड़ा हो गया था तथा खसरा नंबर 33 रकबा 76 12 बीघा भूमि पेमाराम के बंट में रखी गयी थी। पेमाराम सम्वत 2012 से अकेला लगान अदा करता आ रहा है। खसरा नंबर 33 के संबंध में लगान की रसीदे सन् 1958, 1959, 1960, 1962 जो पेमाराम द्वारा जमा करवायी गई है, अभिलेख पर उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि ग्राम सालावास वक्त सेटलमेंट खालसा ग्राम था। इस कारण संवत: 2012 में कोई सेटलमेंट की कार्यवाही नहीं हुई। सन् 1999 से सही पेमाराम वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा गिरदावरी में भी सन् 1950 से ही पेमाराम की काश्त दर्ज है। पेमाराम के तीनों भाईयों में बंटवाड़ा सेटलमेंट से पूर्व ही हो गया, किंतु उक्त बंटवाड़ा रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ। तत्पश्चात उक्त बंटवाड़ा का इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 20.09.1960 के जरिये हुआ तथा वादग्रस्त आराजी पेमाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। पेमाराम के वारिस अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम अब खातेदारी में दर्ज है और मौके पर काबिज है। अपीलांट्स को उक्त बंटवाड़े की पूर्व से ही जानकारी रही है। अपीलांट्स की ओर से बंटवाड़े के नामांतरकरण के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय द्वारा मयाद पर खारिज करने से पूर्व मामले की मेरिट पर भी निष्कर्ष पारित किया गया है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गहन परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारान् द्वारा सन् 1960 में बंटवाड़ा किये जाने पर वादग्रस्त खसरा नंबर 33 की भूमि रेस्पोडेंट्स के पिता पेमाराम के नाम नामांतरकरण संख्या 23 के जरिये दर्ज किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध बिगोड़ी रसीदात के अवलोकन से प्रकट होता है कि खातेदार पेमाराम द्वारा खसरा नंबर 33 रकबा 76.12 बीघा भूमि की लगान राशि अदा की गई है तथा पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में भी खातेदार पेमाराम की काश्त दर्ज है।

वर्तमान में खसरा नंबर 33 की भूमि बट्टा नंबर में विभाजित हो चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि दौराने बहस रेस्पोडेंट्स की ओर से कथन किया गया कि स्व. पेमाराम, किरताराम एवं धोकलराम के नाम कुल 219.17 बीघा भूमि रही थी। सन् 1960 के बंटवाड़े में भाईयों के हिस्से में बराबर-बराबर भूमि रखी गई थी। रेस्पोडेंट्स के इस कथन का अपीलांट पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदार धोकलराम एवं किरताराम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त विभाजन के बारे में उज्र किये जाने का कोई तथ्य अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 774 जो स्व. धोकलराम की फौतेदगी उपरांत भरा गया, जिससे भी साबित है कि अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़े की सूचना पूर्व से रही है। अपीलांट्स की ओर से इतनी लंबी अवधि बाद सन् 1960 के विभाजन को चुनौती दिया जाना सद्भाविक नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में कानूनन इतनी लंबी अवधि पश्चात प्रस्तुत दावे में रेकर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जहां तक विभाजन सन् 1960 के विभाजन की वैधता/अवैधता का निर्धारण एवं अपीलांट्स के खसरा नंबर 33 की भूमि में खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 153/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/262) बअनवान पप्पाराम व अन्य बनाम पुखराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायालय में जरिये साक्ष्य तय होने है। इसलिए मामले की वर्तमान परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थी के पक्ष में न पाये जाकर रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2024 को यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर